उमराव बनाम जगर मल मु.नं. 04/18

दिनांक	आज्ञा पत्र
17/12/24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट रिमाण्ड की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन ... सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 04/2018

1 उमराव आयु 76 साल पुत्र बिडदाराम जाति जांगिड़ निवासी बिहारीपुर तन पाटन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 सागरमल पुत्र स्व. सांवलराम मृतक
1/1 सरोज देवी पुत्री सागरमल पत्नी श्री ओमप्रकाश जी
1/2 मन्जू देवी पुत्री सागरमल पत्नी श्री गोपाल जी
1/3 नरेन्द्र जांगिड़ पुत्र सागरमल
1/4 ललीता देवी पुत्री सागरमल पत्नी राजेन्द्र जी जांगिड़
1/5 सोनू देवी पुत्री सागरमल पत्नी अमीलाल जी जांगिड़
1/6 जितेन्द्र जांगिड़ पुत्र सागरमल आयु 43 साल
समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण बिहारीपुर तन पाटन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज. काश्त. अधि. विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 08.01.2018 न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक नीमकाथाना जिला सीकर वाद संख्या 175/2005, 320/2017 उनवानी सागरमल बनाम उमराव

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री बजरंग सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 17.12.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 320/2017(175/2005) में पारित निर्णय दिनांक 18.05.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने एक वाद उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 46 वाके ग्राम बागडवा पटवार हल्का श्यामपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट ने भूमिधारक तहसीलदार नीमकाथाना को पक्षकार बनाए बिना दावा प्रस्तुत किया है जो कि उद्घोषणा के वाद में आवश्यक पक्षकार है इसलिए रेस्पोडेन्ट का वाद नोन जोईन्डर ऑफ नसेसरी पार्टीज के नुक्स से खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट सागरमल सावलिया का एकमात्र वारिस बनकर विचारण न्यायालय में वाद प्रस्तुत करता है जिसने जानबुझकर सावलिया के अन्य वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया जो कि आवश्यक पक्षकार है। ग्राम बागडवा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 58 रकबा 0.78 हैक्टेयर पर कभी भी रेस्पोडेन्ट सागरमल या उसके पिता सावलराम का कब्जा काश्त कभी नहीं रहा है तथा न ही उनके नाम का गिरदावरियों में अंकन है तथा न ही कब्जा काश्त रेस्पोडेन्ट का आज ही है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

रेस्पोडेन्ट ने कब्जे के अभाव में विचारण न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया तथा रेस्पोडेन्ट ने बिना कब्जे प्राप्ति के पारिणणमिक अनुतोष चाहे वाद प्रस्तुत किया इसलिए भी रेस्पोडेन्ट का वाद खारिज किए जाने योग्य है। अपीलान्ट ने अपने जवाब दावा के समर्थन में विचारण न्यायालय में स्वयं के तथा गवाह रामकरण जांगिड़ व गवाह रोहिताश सिंह के सशपथ बयान करवाए किन्तु विचारण न्यायालय ने उनकी साक्ष्य का कोई विवेचन अपने निर्णय में नही किया है तथा न ही तनकीयों के निर्णय में उनकी शहादत का उल्लेख किया है तथा इसलिए भी निर्णय विचारण न्यायालय निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय में जो बयान दिये है उन पर हस्ताक्षर करने से मना किया है इसलिए कानूनन उनके बयान नहीं पढे जा सकते है विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट के बयानात को आधार मानकर निर्णय पारित किया है जबकि कानून की नजर में वादी के बयान का कोई अस्तित्व नहीं है इसलिए भी निर्णय विचारण न्यायालय निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट का वादास्पद भूमि पर कब्जा काश्त 60 साल से निरन्तर व निर्वाध रूप से चला आ रहा है इसलिए एडवर्स पजेशन व कानून के अन्तर्गत भी अपीलान्ट को खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो चुके है। अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय में अपने वादोत्तर में रेस्पोडेन्ट का वादस्पद भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं माना है तथा दावा को पूर्णतया कन्टेस्ट किया है ऐविडेन्स प्रस्तुत की है तथा रेस्पोडेन्ट के वाद को खारिज किए जाने की इस्तदुआ की है टाईप मिस्टेक के कारण कही पर प्रतिवादी की जगह मात्र वादी भुलवश टंकण की गलती से दर्ज होने से रेस्पोडेन्ट का कोई अधिकार नहीं मिलता कानुनन रेस्पोडेन्ट को स्वयं को अपने पैरो पर खड़ा होकर वाद सिद्ध करना पड़ता है इन तथ्यों पर कोई गौर न करने के कारण खण्डनाधीन निर्णय स्थिर रहने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय व डिक्री विचारण न्यायालय दिनांक 08.01.2018 निरस्त फरमाने की कृपा करें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट सागरमल ने सांवरमल की विरासत के आधार पर खातेदारी की उद्घोषणा चाही है। अपील मेमों में प्रस्तुत सजरा खानदान के अनुसार सांवरमल के वादी सागरमल के अतिरिक्त बहादुर, औमप्रकाश, कैलाश, सोहन वारिसान है। वादी ने अपने पिता के समस्त वारिसान को पक्षकार बनाये बिना वाद प्रस्तुत कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त किया है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट को भी साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारों को पक्षकार संयोजित कर जवाबदावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.01.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 17.12.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम भोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर